न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 104/2023

1. प्रेमचन्द पुत्र फूसाराम जाति मेघवाल निवासी दन्तौर
2. गणेशाराम पुत्र गोदुराम जाति नायक निवासी गेबरसर
3. सुन्दरकुमारी पुत्री सांवरमल, ममताकुमारी पुत्र सांवरमल जाति कुम्हार निवासी 5 आरडब्ल्युएम

.....प्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

–: आदेश :– **दिनांक :– 12.06.23**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि चक 18 बीएलडी मु0नं0 14/39 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृतशुदा है जो कि डामर सड़क दन्तौर से खाजूवाला में से निकलता है लेकिन मु0नं0 14/31, 14/23, 14/15 के काश्तकारों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हैं। मु0नं0 14/31 के किला नं0 21 ता 25 सालम प्रेमचन्द पुत्र फूसाराम जाति मेघवाल निवासी दन्तौर व मु0नं0 14/23 के किला नं0 21 ता 25 सालम गणेशाराम पुत्र गोदुराम जाति निवासी गेबरसर व मु0नं0 14/15 के किला नं0 21 ता 25 सालम ममता कुमारी पुत्री सांवरमल 1/2 हि0, सुन्दरकुमारी पुत्री सांवरमल 1/2 हि0 जाति कुम्हार निवासी 5 आरडब्ल्युएम के नाम से दर्ज है। हम मिकरान उक्त मुरब्बों के काश्तकार आपसी सहमति से मु0नं0 14/31, 14/23, 14/15 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः मु0नं0 14/31, 14/23, 14/15 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर आम रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता मु0नं0 14/31, 14/23, 14/15 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा स्वीकृत किया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने सहमति बाबत् शपथपत्र भी प्रस्तुत किये है। बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि चक 18 बीएलडी मु0नं0 14/31, 14/23, 14/15 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा में स्थायी सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि ''राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार स्वीकार करते हुवे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 18 बीएलडी II के मु0नं0 14/31, 14/23, 14/15 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)